

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 01.12.2018

**गेहूँ आवंटन आदेश माह जनवरी, 2019**  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)


अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह जनवरी, 2019 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूँ) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय एवं अन्य पात्र" परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 30.11.2018 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह जनवरी, 2019 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
2. जिले को आवंटित कुल खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) में से उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाईन उप-आवंटन माह जनवरी, 2019 के लिए राज्य स्तर से किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) "सेन्ड-टू-पोस" हो जायेगी।
3. जिलेवार खाद्यान्न (गेहूँ) का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।
4. जनवरी माह हेतु जिलों को खाद्यान्न (गेहूँ) आवंटन निर्धारित अन्त्योदय एवं अन्य पात्र परिवार हेतु पात्रता अनुसार किया जा रहा है। जिलों द्वारा उठाव उचित मूल्य दुकानवार स्टॉक की भौतिक उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाकर शेष मात्रा समर्पित किए जाने का विकल्प होगा। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि उचित मूल्य दुकानवार जनवरी माह हेतु वांछित आवंटन मात्रा अनुसार उठाव करें।

इस विभाग द्वारा गेहूँ उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह जनवरी, 2019 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

**संलग्न:- उपरोक्तानुसार**

  
(अंजू राजपाल)  
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—


1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2019 हेतु आवंटित गेहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावें। गेहू उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहू उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।



उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह जनवरी, 2019

क्र.सं.	नाम जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा (मै.टन मे)
1	अजमेर	8071.330
2	अलवर	12673.770
3	बांसवाडा	8535.475
4	बारा	5290.950
5	बाडमेर	9609.615
6	भरतपुर	7983.585
7	भीलवाडा	7750.510
8	बीकानेर	6426.485
9	बूंदी	3523.675
10	चित्तौड़गढ़	5140.120
11	चूरु	6848.800
12	दौसा	5826.725
13	धौलपुर	4359.435
14	डूंगरपुर	6865.700
15	श्रीमंगानगर	5749.305
16	हनुमानगढ़	5095.290
17	जयपुर	14661.760
18	जैसलमेर	2084.240
19	जालौर	6003.280
20	झालावाड	5588.355
21	झुंझुनू	5634.880
22	जोधपुर	9633.625
23	करौली	4846.960
24	कोटा	4787.775
25	नागौर	11815.655
26	पाली	6703.450
27	प्रतापगढ़	3845.290
28	राजसमंद	4341.655
29	सवाईमाधोपुर	4252.975
30	सीकर	8738.755
31	सिरोही	3959.045
32	टोंक	5037.710
33	उदयपुर	12506.540
योग		224192.720

  
 01/01/19  
 उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव  
 राज्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग